

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 796/14
 संस्थापन दिनांक:-07/11/14
 फाईलिंग नं. 233504001452014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

मुन्नीलाल पिता फुन्दन शीलूकर
 उम्र 19 वर्ष, निवासी नीमझिरी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 09.02.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 456, 354, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.10.14 को रात्रि 11:30 बजे फरियादी का घर ग्राम नीमझिरी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी के घर में प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नीयत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 24.10.2014 को रात में अपने बच्चों के साथ अपने घर में सो रही थी। घर में उसके सास ससुर भी सोये थे। उसके घर में दरवाजा नहीं है और उसके पति राजेश खेत गये थे। तभी रात को उसे एहसास हुआ कि उसके बाजू में कोई लेटा है। उसने देखा तो गांव का मुन्नीलाल उसके घर के अंदर घुसकर उसके बाजू में लेटा था और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मुन्नीलाल ने बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया और उसके उपर चढ़ रहा था। जब वह चिल्लायी तो उसके सास ससुर जाग गये। तब मुन्नीलाल घर से भाग गया। अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 890/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार

कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी के घर में प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या घटना, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नीयत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

5 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

6 फरियादी (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना रात्रि लगभग 11 बजे की है। घटना के समय वह खाना खाकर सो रही थी। घर पर उसके सास-ससुर भी थे। पति राकेश दूसरे गांव गया हुआ था। अभियुक्त मुन्नीलाल आधी रात में घर के अंदर आकर उसके बाजू में बिस्तर में सो गया और

उसकी साड़ी खींचने लगा। रात को उतने बजे ही उसके पति दूसरे गांव से आये और अभियुक्त को पकड़ लिया। सब लोगों ने अभियुक्त को पहचान लिया था किंतु अभियुक्त भाग गया था। राकेश (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि फरियादी उसकी पत्नी है। घटना रात्रि 12 बजे की है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ सो रही थी, तभी अभियुक्त आया और उसकी पत्नी के कपड़े उठाया और जबरदस्ती करने लगा। तब उसकी पत्नी ने चिल्लाया तो उसकी मां सकुनबाई आयी, तब अभियुक्त घर से भाग गया। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसके घटना की जानकारी उसकी मां सकुनबाई ने दी थी।

7 सकुनबाई (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि रात में अभियुक्त उसकी बहू अनिता के बाजू में आकर सो गया। उसके बाद उसकी बहू के उपर सो गया। छेड़छाड़ करने लगा। उसकी बहू ने चिल्लाया तो उसने अपने लड़के राकेश को उठाया, तब राकेश ने अभियुक्त का कॉलर पकड़कर उसके घर वालों के पास ले गये। तब अभियुक्त के घर वालों ने कहा कि उसके लड़के के उपर झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं।

8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 25.10.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत अनिता का परीक्षण करने पर आहत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) को प्रमाणित किया है।

9 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-6) ने दिनांक 25.10.2014 को पुलिस थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को प्रार्थी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अपराध क्र. 890/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) लेख किया जाना एवं उक्त दिनांक को ही फरियादी की निशादेही पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-5) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-6) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अन्य अभियोजन साक्षीगण फरियादी के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। साथ ही फरियादी एवं अन्य साक्षियों के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है। साथ ही फरियादी के कथन अभियोजन कथा के अनुरूप भी नहीं है जिससे अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी गरीब (अ.सा.-5) ने

अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। न्यायालय के मत में साक्षी के अभियोजन का समर्थन न करने से ही संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेह की परिधि में नहीं आ जाता है क्योंकि सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः ऐसी स्थिति में साक्षी के अभियोजन का समर्थन न करने से अभियोजन के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

12 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रकरण में फरियादी एवं अन्य साक्षीगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना घर के अंदर की रात्रि 12 बजे की है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से सभी साक्षीगण घर परिवार के ही होंगे। साथ ही हितबद्ध साक्षीगण की साक्ष्य के संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाह की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाहों की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है। प्रकरण में फरियादी (अ.सा.-1), राकेश (अ.सा.-2) एवं सकुन (अ.सा.-3) के कथनों से यह देखा जाना है कि क्या साक्षीगण के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

13 फरियादी (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त आधी रात में घर के अंदर आकर उसके बाजू में बिस्तर में सो गया था और उसकी साड़ी खींचने लगा था। घटना के समय ही मौके पर उसके पति राकेश दूसरे गांव से आ गये थे और अभियुक्त को पकड़ लिया था लेकिन वह भाग गया था। राकेश (अ.सा.-2) ने घटना की संपूर्ण जानकारी मां सकुनबाई से प्राप्त होना बताया है और घटना के समय उसकी पत्नी के द्वारा चिल्लाने पर मौके पर सकुनबाई का जाना और अभियुक्त का घर से भाग जाना बताया है। सकुन (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्त उसकी बहू के पास बाजू में आकर सो गया था, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब उसकी बहू ने चिल्लाया तो उसने अपने लड़के राकेश को उठाया और राकेश ने अभियुक्त का कॉलर पकड़कर अभियुक्त के घर वालों के पास ले गया।

14 फरियादी (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय उसके सास-ससुर और उसके दो बच्चे भी सोये हुए थे। सभी का बिस्तर एक-एक हाथ के अंतराल में लगता है। सामने की छपरी में दरवाजा नहीं है। घर के अंदर जाने के लिए दरवाजे से जाना आवश्यक है। स्वतः में बताया है कि छोटी पायरी है उससे भी जा सकते हैं। छपरी में जाने के लिए दरवाजे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दरवाजे के पास पहले सास-ससुर फिर बच्चे

और उसके बाद वह सोई हुई थी। घटना के समय उसका पति राकेश घर पर नहीं था। जब उसकी नींद खुली तो उसे लगा कि उसके बाजू में कोई सोया हुआ है। स्वतः कहा कि जब अभियुक्त साड़ी कपड़े खींच रहा था तो क्या उसे मालूम पड़ा। मदद के लिए सास-ससुर को नहीं बुलाया था। स्वतः कहा सास-ससुर उठ गये थे और बच्चे रोने लगे थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि जैसे ही सास-ससुर उठे तो अभियुक्त भाग गया था। स्वतः कहा कि उसके पति राकेश ने मौके पर ही पकड़ लिया था। उसका पति उतनी ही रात को आ गया था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि जब उसका पति सुबह वापस आये तब उसे घटना के बारे में बताकर उसके साथ जाकर थाना आमला में रिपोर्ट की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। वह अभियुक्त को झूठा फंसा रही है।

15 राकेश (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना नहीं देखी थी। स्वतः में कहा कि उसे घटना उसकी बड़ी मां सकुनबाई ने बताया था। उसकी मां सकुनबाई ने घटना आंखों से देखी है। इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। सकुन (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि जब वह सो कर उठी तो उसने अभियुक्त को भागते हुए देखा था। स्वतः कहा उसके लड़के राकेश ने अभियुक्त की कॉलर पकड़ ली थी। साक्षी को उसके पुलिस कथन (प्रदर्श डी-2) में दिये गये कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था।

16 प्रकरण में फरियादी (अ.सा.-1) के द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि घटना के समय उसका पति राकेश खेत पर था और मौके पर उसके सास-ससुर थे और जैसे ही उसने चिल्लाया तो सास-ससुर जाग गये थे और अभियुक्त भाग गया था। दूसरे दिन पति राकेश के आने के बाद उसने घटना की जानकारी दी और रिपोर्ट करने के लिए थाने आये थे परंतु मुख्य परीक्षण में फरियादी (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि घटना के समय ही उसके पति राकेश गांव से वापस आ गये थे और अभियुक्त को पकड़ लिया था लेकिन वह भाग गया था। जबकि स्वयं राकेश (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि उसे घटना की पूरी जानकारी उसकी बड़ी मां सकुनबाई ने दी थी। उसने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। सकुन (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि जब उसकी बहू अनिता ने चिल्लाया तब उसने अपने लड़के राकेश को उठाया था और उसके लड़के राकेश ने अभियुक्त का कॉलर पकड़ा और उसे पकड़कर अभियुक्त के घर वालों के पास लेकर गया। साक्षी राकेश (अ.सा.-2) और सकुन (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में अपने पुलिस कथनों से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं एवं सुझाव दिये जाने पर पुलिस को दिये गये बयानों को न दिया जाना बताया है तथा फरियादी (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मौके पर अभियुक्त को उसके पति ने ही पकड़ा था। उसका पति घटना के समय आ गया था।

फरियादी को भी सुझाव दिये जाने पर उसने अपने पुलिस कथन में दिये गये कथनों को न देना बताया है। इस प्रकार फरियादी (अ.सा.-1), राकेश (अ.सा.-2), सकुन (अ.सा.-3) ने अत्यन्त विरोधाभासी कथन किये हैं तथा साक्षी राकेश एवं सकुन ने अपने पुलिस कथनों से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। फरियादी (अ.सा.-1) ने भी अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं और सभी साक्षीगण ने न्यायालय में एक नयी और स्वयं के अनुरूप भिन्न-भिन्न कहानी प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त मुन्नीलाल ने फरियादी के घर में रात्रि 11 बजे घुसकर गृह अतिचार किया और फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नीयत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के घर में प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नीयत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त मुन्नीलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 456, 354, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)